

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -1497 / 2014 / बांसवाड़ा

मैसर्स पुण्या मार्केटिंग, बांसवाड़ा

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री के.एल. चंचावत

अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 21.09.2016

निर्णय


1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) की धारा 82 RVAT Act., 2003 R/w 84 राजस्थान बिक्री अधिनियम, 1994 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 13.06.2014 के विरुद्ध पेश की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन भीलवाड़ा (जिसे आगे 'सशक्त अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 04.10.2013 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या आर.जे.14/जीई 2902 जो कि बिल्टी संख्या 26577 के द्वारा फर्म मैसर्स पुण्या मार्केटिंग, बांसवाड़ा से रजतकमल, जयपुर को माल परिवहनित किया जा रहा है। माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा माल से सम्बन्धित दस्तावेजों के अवलोकन से पाया कि वाहन में पेट्रोलियम जैली से निर्मित त्वचा की देखभाल हेतु किया गया उत्पाद बिल संख्या 30 दिनांक 03.10.2013 द्वारा रजतकमल कंटेनर, रजतकमल ब्लू कैप को भेजा जा रहा है, जिसकी कुल कीमत रुपये 4,30,554/- का बिल संलग्न है। वाहन में पुण्या मार्केटिंग का माल 5 प्रतिशत की दर से वसूल करते हुए विक्रय किया गया है, जबकि प्रत्यर्थी राजस्व के अनुसार उक्त माल वेट अधिनियम की अनुसूची-V के अनुसार 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा मिथ्या दस्तावेजों से माल परिवहन करना मानते हुए एवं माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए उक्त उत्पाद के मूल्य 4,30,554/- पर धारा 76(6) के तहत 30 प्रतिशत शास्ति रुपये 1,29,166/- आरोपित करने का आदेश दिनांक 05.10.2013 को पारित किया। अपीलार्थी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील

लगातार.....2

Ami Kumar
21/09/16

को अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 13.06.2014 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन रहा है कि वक्त जांच वेट अधिनियम की धारा 76(2) के तहत माल से सम्बन्धित वांछित दस्तावेज सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिनमें सशक्त अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि अथवा करापवंचन की मंशा होना प्रमाणित नहीं किया गया है। अपीलार्थी का आगे यह तर्क रहा है कि किसी भी माल पर कर दर का निर्धारण किया जाना नियमित कर निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार है, ना कि सशक्त अधिकारी का। फिर भी उसका माल रजतकमल स्किन केयर आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं कोसमेटिक उत्पाद नहीं है। इस लिये उस पर 5 प्रतिशत ही कर देय है। जबकि सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल पर कर दर को विवादित करते हुए माल परिवहन में धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में प्रथम दृष्टया विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13.06.2014 द्वारा सशक्त अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित की गई है। उक्त कथन के साथ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
4. राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वेट अधिनियम के अनुसार व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल पेट्रोलियम जैली स्किन उत्पाद पर 14 प्रतिशत की दर से वेट देय है। वर्तमान प्रकरण में वक्त जांच वाहन में पुण्या मार्केटिंग के पेट्रोलियम जैली स्किन उत्पाद परिवहनित किये जा रहे थे, जिन पर 14 प्रतिशत की दर से करदेयता बनती है, जबकि अपीलार्थी द्वारा जारी किये गये बिलों में 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाना दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से मिथ्या दस्तावेजों से माल परिवहन किये जाने के आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति एवं निर्धारित दर से वेट का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई थी। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का अवलोकन किये बिना अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त तर्कों के परिपेक्ष में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रकरण में स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा जिस माल का परिवहन किया जा रहा था उसे व्यवहारी ने रजतकमल कंटेनर, रजतकमल ब्लू कैप घोषित किया।


21/09/16

जबकि सशक्त अधिकारी का यह आक्षेप रहा है कि जब व्यवहारी के परिवहनित माल का भौतिक सत्यापन करने पर इसमें पेट्रोलियम जैली स्कन केयर उत्पाद पाया गया। जिससे सामान्य बोलचाल की भाषा में वेसलिन के नाम से संबोधित किया जाता है। व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल के प्रस्तुत वेट इनवाइस में माल के संबंध में उचित घोषण नहीं की गई है जो वेट अधिनियम की धारा 76(2)(B) सपठित वेट नियम 38 के प्रावधानों का उल्लंघन है क्योंकि व्यवहारी द्वारा जानबूझ कर माल के संबंध में गलत घोषणा करते हुए 5 प्रतिशत वेट वसूल किया जो कि करापवंचन किया जाना प्रतित होता है। जबकि इस पेट्रोलियम जैली स्कन केयर उत्पाद पर 14 प्रतिशत की दर से वेट देय है। माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2006) 147 STC 422 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार इस उत्पाद पर सामान्य दर से वेट अधिरोपित किया जाना उचित है।

6. इसके विपरित अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन है कि जांच के समय माल से संबंध समस्त वांछित दस्तावेज सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे तथा माल पर कर दर का निर्धारण किया जाना नियमित कर निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार है, न कि सशक्त अधिकारी का। इस लिये धारा 76(6) के अधीन आरोपित कर व शास्ति विधिसम्मत नहीं है।
7. यहां यह उल्लेखनीय है कि बिक्रीत परिवहनित माल पर कर दर को विवादित करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा गलत घोषणा मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(2) व 76(5) के उल्लंघन पर धारा 76(6) के अधीन शास्ति आरोपित की जा सकती है। धारा 76(2), 76(5) व 76(6) इस प्रकार है:-

76. Establishment of check-post or barrier and inspection of goods while in movement -

(1)


(2) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall-

(a) stop the vehicle or carrier at every check post or barrier, and while entering and leaving the limits of the State bring and stop the vehicle at the nearest check post or barrier, set-up under sub-section (1);

(b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;

(c) produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the Incharge of the check-post or barrier;

(d) furnish all the information in his possession relating to the goods; and


21/09/16


- (e) allow the inspection of the goods by the Incharge of the check-post or barrier or any other person authorised by such Incharge.
- (3)
- (4)
- (5) Where any goods in movement, other than exempted goods, are without documents, or are not supported by documents as referred to in sub-section (2), or documents produced appears to be false or forged, the Incharge of the check-post or barrier or the officer authorized under sub-section (4), may-
- (a) direct the owner or a person duly authorized by such owner or the driver or the person Incharge of the vehicle or carrier or of the goods not to part with the goods in any manner including by re-transporting or re-booking, till a verification is done or an enquiry is made, which shall not take more than seven days;
- (b) seize the goods for reasons to be recorded in writing and shall give a receipt of the goods to the person from whose possession or control they are seized;
- (c) release the goods seized under clause (b) to the owner of the goods or to a person duly authorised by such owner, during the course of the proceeding, if adequate security of the amount equal to the estimated value of the goods is furnished.
- (6) The Incharge of the check-post or barrier or the officer authorized under sub-section (4), after having given the owner of the goods or person duly authorised in writing by such owner or person Incharge of the goods, a reasonable opportunity of being heard and after having held such enquiry as he may deem fit, shall impose on him for possession or movement of goods, whether seized or not, in violation of the provisions of clause (b) of sub-section (2) or for submission of false or forged documents or declaration, a penalty equal to thirty percent of the value of such goods.

उक्त प्रावधान अनुसार माल के साथ विहित दस्तावेज मय वांछित घोषणा पत्र नहीं होने, माल की मिथ्या घोषणा होने तथा दस्तावेज झूठे या कूटरचित होने पर शास्ति आरोपित की जा सकती है। सशक्त अधिकारी ने दस्तावेजों में वर्णित माल की मात्रा, पैकिंग एवं वाहन में परिवहनित किये जा रहे माल में कोई अन्तर नहीं पाया है। सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा जारी किये गये बिलों में 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाना दर्शाया गया है उसके स्थान पर विवादित माल को पेट्रोलियम जैली स्किन उत्पाद होना मानते हुए उस पर 14 प्रतिशत की दर से वेट देय होना माना। अतः प्रस्तुत प्रकरण में न तो दस्तावेजों का अभाव है, न ही माल की मिथ्या घोषणा की गई है तथा न ही दस्तावेज गलत या कूटरचित पाये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा जांच के समय माल से संबंध समस्त वांछित दस्तावेज सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे तथा माल पर कर दर का निर्धारण किया जाना नियमित कर निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार है, न कि

Amal Kumar
21/09/16

सशक्त अधिकारी का। अतः माल के परिवहन के दौरान कर दर का विवाद धारा 76 के अन्तर्गत नहीं आता है। कर दर का विवाद नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय तय किया जाता है। इसलिए धारा 76(6) के तहत आरोपित कर व शास्ति को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अतः सशक्त अधिकारी का आदेश दिनांक 05.10.2013 विधि सम्मत नहीं है तथा अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13.06.2014 द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश की पुष्टि करने में विधिक त्रुटि कारित की है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी के अपील स्वीकार की जाकर सशक्त अधिकारी का आदेश दिनांक 05.10.2013 एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 13.06.2014 को एतद् द्वारा अपास्त किये जाता है।
9. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य